न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़(राज.)

बइजलास – श्रीमति हरबिन्दर डी सिंह (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या – 22/2019/प्रार्थना पत्र

उनवान

1. रईसाबी बेवा फिदा हुसैन जाति मुसलमान नि. रायपुर
2. मोबीनाबी पुत्री फिदा हुसैन जाति मुसलमान नि. रायपुर
3. रेहानाबी पुत्री फिदा हुसैन जाति मुसलमान नि. रायपुर

– प्रार्थीगण

बनाम

1. जहूरखां पि. करीमखां जाति मुसलमान नि. रायपुर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील पिड़ावा

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.टी.एक्ट

उपस्थिति – वकील प्रार्थीगण – श्री हुकुमचन्द कुमावत
वकील अप्रार्थीगण – श्री महेन्द्रसिंह जैन

आदेश दिनांक : 17/12/2019

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने धारा 212 रा.टी.एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र पेश निवेदन किया कि रायपुर की जमाबंदी सं. 2069–72 के खाता सं. 175 की वादग्रस्त आराजी किता 4 रकबा 12 बीघा 2 बिस्वा भूमि अप्रार्थी सं. 1 के खाते दर्ज है। प्रार्थीगण मृतक फिदा हुसैन की बेवा एवं पुत्रियां है। फिदा हुसैन का इन्तकाल दि. 19.06.2017 को हुआ है। फिदा हुसैन ग्राम रायपुर में रहकर मौखिक हिबा में पिता द्वारा दी गई आराजी पर काश्त करते थे। अप्रार्थी सं. 1 ने राजीमर्जी से सलाह मशविरा कर फिदा हुसैन व प्रार्थिया सं. 1 को हिस्से में प्राप्त होने वाली आराजी 5 बीघा का मौखिक हिबा किया था जिसे लगभग 30 वर्ष हो चुके है। मृतक फिदा हुसैन का भाई मोहम्मद इस्लाम की हमेशा प्रार्थिया को मौखिक हिबा में मिली 5 बीघा भूमि को हडप करने की मंशा रही है। प्रार्थीगण के पिता एवं पति को मौखिक हिबा ख.नं. 820 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा , ख.न. 821 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा कुल 4 बीघा 19 बिस्वा भूमि मिली थी जिसकी सिंचाई ख.नं. 819 के गे.मु.चाह

COURT 2019 (REPAIRED)

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned by CamScanner

से होती है। प्रार्थीगण के पति व पिता ने कई बार उक्त आराजी को अपने नाम दर्ज करवाने की कही परन्तु अप्रार्थी सं. 1 व उसके छोटे पुत्र के मन में बदनियति आने से उन्होने उक्त आराजी प्रार्थीगण के नाम दर्ज नहीं करवायी। प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया ठोस प्रकरण है एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में होने से अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाने के पात्र है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी सं. 1 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पावंद किया जावे कि वे ग्राम रायपुर की वादग्रस्त आराजी ख.नं. 820 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा , ख.न. 821 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा कुल 4 बीघा 19 बिस्वा भूमि को रहन , बेचान , दान , वसीयम , अन्तरण नहीं करे एवं प्रार्थीगण को बेदखल नहीं करें तथा कब्जा काश्त में रोक अवरोध उत्पन्न नहीं करें। प्रार्थना पत्र के साथ ग्राम रायपुर की नकल जमाबंदी खाता सं. 175 , नकल नक्शा ट्रेस , नकल गिरदावरी , नकल मर्ग एफ आई आर धारा 174 सीआरपीसी , नकल मेडिकल रिपोर्ट की छायाप्रतियां पेश की।

अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब करने पर अप्रार्थी सं. 1 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थना पत्र को गलत एवं अस्वीकार किया तथा विशेष आपत्तियों में निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी अप्रार्थी सं. 1 की वैध स्वामित्व की भूमि है जिसका कभी भी किसी को भी हिबा नहीं किया गया है। प्रार्थिया सं. 1 ने स्वैच्छा से फिदा हुसैन का एक पक्षीय रूप से परित्याग कर दिया था एवं पीहर चली गई थी। ततपश्चात फिदा हुसैन द्वारा सन 1955 में शरीयत के अनुसार प्रार्थीया सं. 1 को जरिये रजिस्टर्ड डाक तलाक दे दिया था जो प्रार्थीया सं. 1 को 05.12.1995 को प्राप्त हो गया था। वादग्रस्त आराजी पर कभी भी प्रार्थीगण का कब्जा काश्त नहीं रहा है। यदि वादग्रस्त आराजी का हिबा किया हो तो मुस्लिम विधि के अनुसार वैध हिबा की शर्तो के उक्त भूमि के भू भाग पर वास्तविक एवं भौतिक रूप से कब्जा होता परन्तु प्रार्थीगण का कभी कब्जा नहीं रहा है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सव्यय निरस्त फरमाया जावे। अप्रार्थी की ओर से रमजानखां पि. फकीर मोहम्मद का शपथ पत्र की छायाप्रति पेश की।

प्रार्थीगण की ओर से शोकतअली पि. नूर मोहम्मद , एजाजखां पि. इसाकखां , अली मोहम्मद पि. गुल मोहम्मद , कल्लूखां पि. गुल मोहम्मद , रफीकखां पि. अब्दुलखां , गोपालसिंह पि. छीतरलाल , हरीसिंह पि. भुवानजी के शपथ पत्र पेश किये गये।

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड (राज०)

Scanned by CamScanner

अप्रार्थीगण की ओर से नन्नेखा पि सुलेमानखां , अनिलकुमार पि जगदीश सोनी , सुन्दरलाल पि श्यामलाल , शोभाराम पि बालाराम , शंभूलाल पि सांवरलाल , के शपथ पत्र पेश किये गये।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। अप्रार्थी अभिभाषकगण द्वारा RRT 2015(2) page 976 , RRT 2017(2) page 803 , RRT 2015(1) page 633 , RRT 2016(2) page 1323 की न्यायिक नजीरे पेश की गई जिनका एवं पत्रावली का महनता से अवलोकन किया गया तथा विद्वान अभिभाषकगण द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में यह पाया कि ग्राम रायपुर की वादग्रस्त आराजी ख.नं. 820 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा , ख.नं. 821 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा कुल 4 बीघा 19 बिस्वा भूमि के संबंध में मौखिक हिबा का उल्लेख किया गया है। मुस्लिम विधि के अनुसार हिबा के आवश्यक तत्व निम्न है –

1. दाता द्वारा दान की घोषणा
2. अदाता द्वारा दान की प्रतिग्रहण
3. कब्जा का प्रदाय

हिबा को मुस्लिम विधि वैध रूप से तब तक मान्यता प्रदान नहीं करती जब तक आदाता को कब्जा नहीं दे दिया जावे। मुस्लिम विधि के अन्तर्गत विधिमान्य और पूर्ण हिबा करने की शर्त है कि यदि वह वस्तु विभाज्य हो तो उसे पृथक और सुभिन्न किया गया होना चाहिये। वादग्रस्त आराजी का अप्रार्थी सं. 1 रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है जिस कारण प्रथम दृष्टया प्रकरण अप्रार्थी के पक्ष में है। प्रार्थीगण की ओर से ऐसा कोई रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह प्रतीत हो सके कि प्रार्थीगण खातेदार का कब्जा काश्त हो। सुविधा का संतुलन एवं प्रथम दृष्टया प्रकरण अप्रार्थी के पक्ष में है एवं अपूरनीय क्षति होने की संभावना भी अप्रार्थी की ही है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारीज किया किया जाता है।

निर्णय आज मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल दावे के साथ संलग्न हो।

(हरबिन्दर डी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ (राज.)
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2020.01.07 13:27:45 IST
Reason: SelfAttested
Location: